दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग 4 में प्रकाषनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

वित्त (राजस्व–1) विभाग,
दिल्ली सचिवालय, आई,पी, इस्टेट: नई दिल्ली–110002

सं फा 3(14) / वित्त (राज0–1) / 2017–18 / डीएस–vi/357 **दिनांक: 30/6/17**

<u>अधिसूचना संख्या–08 / 2017</u>

सं फा 3(14) / वित्त (राज0–1) / 2017–18– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 (2017 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 10 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिषों पर विहित करती है कि ऐसा कोई पात्र रजिस्ट्रकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त पचहत्तर लाख रूपए से अधिक नहीं है, उसके द्वारा संदेय राज्य कर के बदले में , निम्मलिखित की दर पर संगणित रकम का संदाया करने का विकल्प ले सकेगा , –

(1) किसी विनिर्माता के मामले में राज्य में आवर्त का एक प्रतिशत ;
(2) उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदाय करने में लगे हुए व्यक्तियों के मामले में राज्य में आवर्त का ढाई प्रतिशत ; और
(3) अन्य प्रदायकर्ताओ के मामले में राज्य में आवर्त का आधा प्रतिशत :

परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति , उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन प्रशमन उद्ग्रहण के लिए विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं होगा , यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे माल का विनिर्माता है, जिसका वर्णन नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविषटि में यथाविनिर्दिष्ट, यथासथिति, टैरिफ मद , उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है :–

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय	वर्णन
(1)	(2)	(3)
1.	2105 00 00	आइसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ , चाहे उसमें कोका मिला है या नहीं
2.	2106 90 20	पान मसाला
3.	24	सभी माल, अर्थात तम्बाकू और विनिर्मित तम्बाकू अनुकल्प

स्पष्टीकरण –

(1) इस सारणी में, '' टैरिफ मद '' , '' उपशीर्ष '' , '' शीर्ष '' और '' अध्याय '' से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 (1975 का 51) की पहली अनूसूची मे यथाविनिर्दिष्ट क्रमश : टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा।

(2) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनूसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर

(एस0 के0 गुप्ता)

उप–सचिव–VI(वित्त)

सं फा 3(14)/वित्त (राज0–1)/2017–18/डीएस–vi/357 दिनांकः 30/6/17

प्रतिलिपि प्रेषित सूचनार्थः–

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रषासन विभाग), राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को आज की तारीख में एक पृथक प्रति के साथ ताकि दिल्ली राजपत्र भाग–4 (असाधारण) में इसे प्रकाशित किया जा सके।
2. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव ।**
3. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
4. प्रधान सचिव (वित्त), राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
5. आयुक्त, व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली।
6. सचिव, वित्त मंत्री, राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
7. **निजी सचिव, नेता विपक्ष, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।**
8. **अतिरिक्त सचिव, (विधि),** राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
10. गार्ड फाइल।

(एस0 के0 गुप्ता)

उप–सचिव–VI(वित्त)

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No.F3(14)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/357 Dated: 30/06/17

NOTIFICATION No. 08/2017

No.F3(14)/Fin(Rev-I)/2017-18.- In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 10 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby prescribes that an eligible registered person, whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed seventy five lakh rupees, may opt to pay, in lieu of the tax payable by him, an amount calculated at the rate of,—

(i) one per cent. of the turnover in State in case of a manufacturer;
(ii) two and a half per cent. of the turnover in State in case of persons engaged in making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II of the said Act; and
(iii) half per cent. of the turnover in State in case of other suppliers:

Provided that a registered person shall not be eligible to opt for composition levy under sub-section (1) of section 10 of the said Act if such person is a manufacturer of the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below and falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table:-

TABLE

S. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	2105 00 00	Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa.
2.	2106 90 20	Pan masala
3.	24	All goods, i.e. Tobacco and manufactured tobacco substitutes

Explanation. –

(1) In this Table, “tariff item”, “sub-heading”, “heading” and “chapter” shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), including the section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

By order and in the name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi

(S. K. Gupta)
Dy. Secretary VI (Finance)

No.F3(14)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/357 Dated:30/06/17

Copy forwarded for information to:-
1. The Principal Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi in duplicate with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
2. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi
3. The Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
4. The Principal Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
5. The Commissioner, Value Added Tax, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
7. The P.A. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
8. The Additional Secretary (Law), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
9. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
10. Guard File.

(S. K. Gupta)
Dy. Secretary VI (Finance)